

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 1026/2023 (धारा 14 सिक््योरिटाईजेशन)  
शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाईनेंस लिमिटेड रजिस्टर्ड पता डी 505 भूतल सर्वोदय एन्क्लेव नई दिल्ली  
जरिये प्राधिकृत अधिकारी ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. राजेश स्वामी  
पता- बी-31-ए, हस्तिनापुर, महाराणा प्रताप मार्ग, पांच्यावाला, पराग स्कूल के पास, जयपुर  
एवं प्लैट नम्बर-टी-1, थर्ड फ्लोर, प्लाट नम्बर 208 व 209, मॉ हिंगलाज नगर-बी, ग्राम  
लालरपुरा, गांधीपथ वेस्ट, जयपुर
2. अभिषेक स्वामी  
पता-बी-31-ए, हस्तिनापुर, महाराणा प्रताप मार्ग, पांच्यवाला,नियर पराग स्कूल, जयपुर  
एवं प्लैट नम्बर-टी-1, थर्ड फ्लोर, प्लाट नम्बर 208 व 209, मॉ हिंगलाज नगर-बी, ग्राम  
लालरपुरा, गांधीपथ वेस्ट, जयपुर  
एवं एस-आर-2, सुरेश भवन, एव काउन प्लाजा, वैशाली नगर, जयपुर

अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation  
and Reconstruction of Financial Assets and  
Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :- श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 11.01.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.12.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री राजेश स्वामी एवं श्री अभिषेक स्वामी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लैट नम्बर-टी-1, थर्ड फ्लोर, प्लाट नम्बर 208 व 209, मॉ हिंगलाज नगर-बी, ग्राम लालरपुरा, गांधीपथ वेस्ट, जयपुर कुल क्षेत्रफल 700 वर्गफीट को बन्धक रख कर 17,28,816/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 20.06.2023 को रजिस्टर्ड/कोरियर से नोटिस जारी किये। उक्त नोटिस दी इण्डियन एक्सप्रेस व सीमा संदेश अखबारों में साया भी करवाया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय कम्पनी ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

- 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पारा बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इगदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
  3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 17,28,816/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 18,47,431/- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 20.06.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
  4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री राजेश स्वामी एवं श्री अभिषेक स्वामी के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति फ्लैट नम्बर-टी-1, थर्ड फ्लोर, प्लॉट नम्बर 208 व 209, मॉडर्न हिंगलाज नगर-बी, ग्राम लालपुरा, गांधीपथ वेस्ट, जयपुर कुल क्षेत्रफल 700 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
  5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल



आदेश आज दिनांक 11.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

40  
(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर